संख्या–6801/आठ–1–06–34विविध/03टीसी

प्रेषक,

के0 एल0 मीना
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1– **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3– **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2006**

विषय : उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप) के कियान्वयन हेतु निर्धारित प्रकिया में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप) के कियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनॉक 29.12.05 द्वारा विकास क्षेत्रों के बाहर शासकीय अभिकरण का नामांकन किये जाने के संबंध में प्रकिया निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार यह व्यवस्था दी गयी है कि विकास क्षेत्रों एवं विशेष क्षेत्र विकास क्षेत्रों के अंतर्गत इस नीति का कियान्वयन संबंधित विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, जबकि अन्य नगरों में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद शासकीय अभिकरण होगा। यदि भविष्य में किसी नगर हेतु विकास प्राधिकरण/अन्य अभिकरण गठित किया जाता है तो उक्त नगर में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के स्थान पर नवगठित अभिकरण ही शासकीय अभिकरण होगा। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के नियोजन एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एवं डिजाइनिंग) तथा तकनीकी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अधिकृत होंगे।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम द्वारा अपने अभिकरण से संबंधित अधिनियम एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों/विनियमों के अनुसार मानचित्र स्वीकृति, परियोजना के कियान्वयन तथा पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गमन एवं अवैध निर्माण के विनियमन की कार्यवाही की जाती है, जबकि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का गठन किसी अधिनियम के अधीन नहीं हुआ है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को उक्त प्रकृति के कार्यो के सम्पादन हेतु विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उक्त के अतिरिक्त

विभिन्न अधिनियमों के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर स्थित भूमि के सुनियोजित विकास हेतु प्लानिंग नार्म्स तथा भवन उपविधियॉ/विनियमन आदि नहीं बने हैं। अतः ऐसी स्थिति में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को इस नीति के अधीन प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों के संबंध में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा।

3– अस्तु वर्णित स्थिति में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रदेश के लगभग समस्त नगरों में अपनी योजनायें संचालित की जा रही हैं, अतः उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप) के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं के निर्धारण से संबंधित शासनादेश दिनांक 29.12.05 के प्रस्तर–11 में ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के नियोजन एवं अभिकल्पन तथा तकनीकी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु जहॉ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया है, वहॉ पर उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को उक्त कार्यो हेतु अधिकृत किया जाता है। योजनाओं को नियोजित रूप से क्रियान्वित किये जाने के ध्यये से क्रियान्वयन के पूर्व योजनाओं के नियोजन एवं अभिकल्पन हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश का अभिमत प्राप्त किया जायेगा।

4– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

के. एल. मीना

सचिव

संख्या–6801(1)/आठ–1–06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. महानिरीक्षक, निबन्धन एवं पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
16. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभग।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनुसचिव